BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 7,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त कन्हैया पुत्र विजयपाल निवासी सराय बैरुनी थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2005 में अपने गांव निवासी वादी प्रेमपाल के दादा खेमकरण के सिर व गुप्तांग मे चोट पहुंचाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 31.07.2005 को थाना डिबाई पर मुअसं-265/2005 धारा 302,307,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.09.2005 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 03.04.2005 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी(मा0 न्यायालय एडीजे-अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कन्हैया को सश्रम आजीवन कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर